संख्या:368/2016/1448/35-4-2016

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 07 नवम्बर,2016

विषय: वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कानपुर नगर में शासनादेश संख्या-350/2016/1378/35-4-2016 दिनांक 13 अक्टूबर,2016 द्वारा **बकर मण्डी बजरिया चौराहे से परेड चौराहे तक (वाया सैय्यद मोहम्मद रजा मार्ग) का सुदृढ़ीकरण कार्य** की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति लागत रू. 105.28 लाख की प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू. 10.52 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। शासनादेश के प्रस्तर-1 में कानपुर नगर के स्थान पर टंकण त्रुटिवश रायबरेली अंकित हो गया है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 को निम्नवत पढ़ा जाये।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कानपुर नगर में **बकर मण्डी बजरिया चौराहे से परेड चौराहे तक (वाया सैय्यद मोहम्मद रजा मार्ग) का सुदृढ़ीकरण कार्य** को रू. 105.28 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 10.52 लाख (रूपये दस लाख बावन हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस कार्य के लिए कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग होगी:-

इस सीमा तक उक्त शासनादेश संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:368/2016/1448(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण/नगर विकास ।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, कानपुर।
7- जिलाधिकारी कानपुर नगर।
8- मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कानपुर नगर।
14-अधिशासी अभियन्ता,लोनिवि,प्रान्तीय खण्ड,कानपुर नगर।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।